



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 5, 2010
(BHADRA 14, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th September, 2010

No. 29—HLA of 2010/59.—The Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings and Roads) Department Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 29—HLA of 2010

THE HARYANA SERVICE OF ENGINEERS, GROUP A, PUBLIC WORKS (BUILDINGS AND ROADS)

DEPARTMENT BILL, 2010

A Bill

*to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed
to the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works
(Buildings and Roads) Department.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings and Roads) Department Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1966.

(3) It shall apply to the persons who are members of the Service but shall not include the persons who were appointed before the 1st day of November, 1966.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “appointment to the Service” means an appointment made to a cadre post in Service and includes an appointment, made according to the terms and provisions of this Act, to an officiating vacancy of a cadre post in Service;

Short title,
commencement
and application.

Definitions.

- (b) "Assistant Executive Engineer" means a member of the Service in the junior scale of pay;
- (c) "Appendix" means Appendix annexed to this Act;
- (d) "cadre post" means a permanent post in the Service;
- (e) "Chief Engineer" means a Chief Engineer of the Department and includes a post declared by the Government as equivalent;
- (f) "Commission" means the Haryana Public Service Commission or any other authority notified by the Government;
- (g) "competent authority" means such officer or authority, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, to perform the functions of a competent authority under this Act;
- (h) "Department" means the Public Works (Buildings and Roads) Department;
- (i) "direct appointment" means an appointment by open competition but does not include—
 - (i) an appointment by promotion; and
 - (ii) an appointment by transfer of an officer already in the service of a State Government or Central Government;

Explanation.— A Group B Officer who enters the Service by open competitive selection, shall, for the purposes of this Act, be deemed to have entered the Service by direct appointment;

- (j) "Engineer-in-Chief" means an Engineer-in-Chief of the Department and includes a post declared by the Government as equivalent;
- (k) "ex-cadre post" means a temporary post not included in the Service, appointment on which confers no right to seniority;
- (l) "Executive Engineer" means an officer-in-charge of a Division;
- (m) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
- (n) "Group B Service" means the Haryana Service of Engineers, Group B in Public Works (Buildings and Roads) Department;
- (o) "member of the Service" means an officer appointed substantively to a cadre post and includes,—
 - (i) in the case of a direct appointment, an officer on probation or such an officer who, having successfully completed his probation, awaits appointment to a cadre post;
 - (ii) in the case of an appointment by transfer, an officer on probation or such an officer who, having successfully completed his probation, awaits appointment to a cadre post;

post, provided such officer does not have a lien on a substantive post in any Government Department;

Explanation.— It is not necessary that a member of the Service shall at any given time be ordinarily doing the work of a cadre post. He may be working on an ex-cadre post for reasons of administrative convenience or while officiating against an ex-cadre post will be deemed to be performing the duties of a cadre post;

- (p) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (q) "Service" means the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings and Roads) Department comprising three separate cadres of Civil, Electrical and Mechanical;
- (r) "Superintending Engineer" means an officer-in-charge of a Circle and includes a post declared by the Government as equivalent;
- (s) "university" means—
 - (i) any university incorporated by law in India;
 - (ii) in the case of degrees or diplomas obtained as a result of examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; and
 - (iii) any other university, which is declared by the Government to be a recognized or deemed university for the purposes of this Act.

3. (1) There shall be three cadres of Service, namely, Civil, Electrical and Mechanical comprising of various posts as may be determined separately for each cadre on the 1st day of January each year or as soon thereafter, as may be practicable according to the provisions of Appendix A. The strength of the respective cadre so determined shall remain in force till it is revised by the Government.

Cadre and its strength.

(2) The officers of Civil, Electrical and Mechanical cadres shall be posted or appointed only against the respective posts in their cadre.

Explanation.— Once an officer has been appointed as member of the Service, his promotion within the Service from one rank to another shall be regarded as promotion within the same cadre.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may appoint a member of the Service to an ex-cadre post not included in the Service in accordance with the provisions of this Act, provided such post has been sanctioned.

4. (1) No person shall be appointed to the Service unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Sikkim ; or
- (c) a subject of Nepal ; or
- (d) a subject of Bhutan; or

Nationality and domicile of candidates.

- (e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to any of the categories (c), (d), (e) or (f) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the competent authority and if he belongs to category (f), the certificate of eligibility will be issued for a period of one year, after which such a candidate will be retained in Service subject to his having acquired Indian citizenship.

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission on his furnishing proof that he has applied for the certificate and he may also provisionally be appointed subject to the necessary eligibility certificate being given to him by the competent authority.

Recruitment to Service.

5. (1) Recruitment to the Service in the respective cadre shall be made by the Government by any one or more of the following methods:—

- (a) by direct appointment; or
- (b) by transfer of an officer already in the service of a State Government or the Central Government; or
- (c) by promotion from Group B Service of the respective cadre.

(2) Recruitment to the cadre post shall be so regulated that the number of posts in the respective cadre filled by promotion from Group B Service shall not exceed fifty percent of the cadre strength in respective cadre excluding the posts of Assistant Executive Engineers:

Provided that if adequate number of Assistant Executive Engineers, who are eligible and fit for promotion are not available, the cadre posts in the respective cadre even beyond fifty percent may be filled up by promotion of members of Group B Service or by transfer, as may be decided by the Government.

(3) In the case of persons who were members of the Service as on 1st day of November, 1966, it shall be assumed that the member recruited by promotion from Group B Service is in accordance with the provisions of sub-section (2) and future recruitment shall be based upon this assumption.

(4) All first direct appointments to the Service shall be made to the posts of Assistant Executive Engineers.

(5) An officer promoted from Group B Service shall be appointed to the post of Executive Engineer.

(6) Appointment by transfer of an officer shall ordinarily be made to the rank of Executive Engineer.

(7) The selection of candidates shall be made by the Commission,

after holding competitive examination, the syllabus for which shall be such, as may be specified by Government, from time to time:

Provided that if the number of candidates is more than twenty times the number of vacancies advertised, the Commission may hold a screening test to shortlist the candidates for the competitive examination:

Provided further that a candidate shall not be considered qualified for appointment, unless he obtains not less than forty percent marks in each subject and also not less than fifty percent marks in the aggregate and no candidate who fails to obtain the qualifying marks shall be called for interview by the Commission:

Provided further that for a candidate belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, the requirement of aggregate marks shall be forty-five percent.

Explanation.— When so requested by the Government, the Commission may hold a combined competitive examination for selection to the Service as well as to any other engineering service or services of the State and in such an event, appointments shall be made in the order of merit indicated by the Commission, after allowing persons that are appointed to another service.

6. No person shall be appointed to the Service on or after the date of publication of this Act in the Official Gazette, unless he,—

Qualifications.

(a) in case of appointment by direct recruitment, possesses one of the degrees or other qualifications in the respective engineering discipline from a university or from a technical institution approved by All India Council of Technical Education or has passed sections A and B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India). The requisite qualifications shall be possessed by the candidate on or before the last day of submission of application to the Commission:

Provided that no degree obtained through correspondence or distance education mode from any university or technical institution shall be considered for appointment by any mode of recruitment to the Service. The degrees awarded must be approved by All India Council of Technical Education:

Provided further that the candidates to be appointed for Civil cadre shall be recruited with qualification in Civil Engineering, whereas those to be recruited in the Electrical cadre shall possess qualification in Electrical Engineering and whereas those to be recruited in Mechanical cadre shall be required to possess qualification in Mechanical Engineering;

(b) in case of an appointment by promotion from Group B Service, has, in addition to the qualifications provided in clause (a), eight years completed service and passed the departmental examination of Group B Service:

Provided that the Government may relax the condition of eight years service in the case of an officer who has completed five years service and in such case, the officer shall earn the first increment as an Executive Engineer on the completion of nine years service.

Explanation.— For the purpose of computing eight years service, the service in Group B, as well as in Group A, shall be counted;

- (c) is a person with a satisfactory character and antecedents, verification in respect of which shall be arranged through appropriate Government agency, except in case where such verification may have already been made at the time of his entry into Government service;
- (d) has not more than one wife living or, in the case of a women, is not married to a person already having a wife living;

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this condition;

- (e) obtains from the Standing Medical Board, a certificate of physical fitness after being examined in accordance with the Punjab Civil Services Rules as applicable to the State of Haryana and is considered by the Standing Medical Board to be fit in all respects for active outdoor duties.

Age

7. The minimum and maximum age for direct appointment shall be such, as may be notified by the Government. The cut off date for determining the minimum and maximum age shall be the First day of January of the calendar year in which the vacancies are advertised by the Commission.

Appointment by promotion.

8. (1) A Committee comprising such members, as may be notified by the Government, shall be constituted to prepare a list of officers suitable for promotion to the senior scale of the Service separately for Civil, Electrical and Mechanical cadre. The selection for inclusion in such list shall be based on seniority-cum-merit.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year and consider the cases of all eligible officers for promotion to the senior scale of the Service, as on the First day of January of that year.

(3) The names of the officers included in this list shall be arranged in order of seniority in Group B Service separately for Civil, Electrical and Mechanical cadre.

(4) The list so prepared shall be revised every year.

(5) If, in the process of preparing the list or its revision, it is proposed to supersede any eligible candidate, the Committee shall draw up a

list of such officers and may record its reasons for the proposed supersession.

(6) The list prepared or revised in accordance with the provisions of sub-sections (1), (3), (4) and (5) shall be forwarded to the Commission by the Government along with—

- (i) the records of all officers included in the list ;
- (ii) the records of all officers proposed to be superseded as a result of the recommendations made by the Committee;
- (iii) the reasons, if any, recorded by the Committee for the proposed supersession of any officer; and
- (iv) the observations, if any, of the Government on the recommendations of the Committee.

(7) The Commission shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the Government and, unless it considers any change necessary, approve the list.

(8) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, it shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government, may approve the list finally with such modifications, if any, as may, in its opinion, be just and proper.

(9) Appointments to the Service shall be made by the Government from the list in the order in which names have been mentioned by the Commission.

(10) Appointment by promotion may be made to the Service or to any post in the cadre in an officiating capacity from the list prepared under this section.

(11) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment under sub-section (9) or (10) is made, unless during the period intervening between the inclusion of the name of the officer in the list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in the work of the officer which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.

9. (1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), members of the Service of the respective cadre shall be eligible for promotion to any of the posts within their respective cadre:

Promotion within service.

Provided that a member of Group B Service who does not possess one of the degrees of a university or other qualifications as specified in section 6, shall not be eligible for promotion to the post of Executive Engineer till he has acquired the requisite qualifications:

Provided further that promotion to the post of Engineer-in-Chief shall be made from amongst the members of the Civil cadre only:

Provided further that there shall be one common post of Chief Engineer for Electrical and Mechanical cadres and the same, notwithstanding anything contrary contained in this Act, shall be filled by the Committee constituted under section 8 on the basis of seniority-cum-merit and the seniority inter-se Superintending Engineer, Electrical and Mechanical cadres for this purpose shall be determined on the basis of length of Service on the post of Superintending Engineer.

(2) Promotion shall be made by selection on the basis of seniority-cum-merit and suitability in all respects and a member of the Service shall not have any claim to such promotion as a matter of right or mere seniority.

(3) A member of the Service shall not be eligible for promotion to the rank of -

(a) Executive Engineer, unless he has rendered five years Service as an Assistant Executive Engineer and has passed departmental examination as provided in section 15:

Provided that an officer who has rendered six years or more Service as an Assistant Executive Engineer shall, unless he is considered unsuitable for promotion, be given preference for such promotion over an eligible Group B officer;

(b) Superintending Engineer, unless he has rendered seven years Service as an Executive Engineer;

(c) Chief Engineer, unless he has rendered three years Service as Superintending Engineer;

(d) Engineer-in-Chief, unless he has rendered two years Service as Chief Engineer:

Provided that if, it appears to be necessary to promote an officer who has successfully completed his probation, in public interest, the Government may, for reasons to be recorded in writing, either generally for a specified period or in any individual case, reduce the period specified in clauses (a), (b), (c) or (d) to such an extent, as it may deem proper.

Appointment by transfer.

10. The Government may, in special circumstances, with the approval of the Commission, appoint an officer to the Service by transfer.

Probation.

11. (1) The officer appointed to the Service shall remain on probation for a period of two years, if recruited by direct appointment and one year, if recruited otherwise:

Provided that —

- (a) any period after appointment to the Service spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation fixed under this section;
- (b) in the case of an appointment by transfer, any period of work in the rank of Executive Engineer or above, prior to appointment to the Service may, at the discretion of the Government, be allowed to be counted towards the period of probation fixed under this section ; and
- (c) an officiating appointment in the Service shall be reckoned as a period spent on probation but no member of Service who has thus officiated shall, on the completion of the specified period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a cadre post.

(2) If the work or conduct of an officer appointed to the Service during the period of probation is, in the opinion of the Government, not satisfactory, it may —

- (a) dispense with his Services, if recruited by direct appointment; and
- (b) if recruited otherwise—
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of an officer, the Government may,—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory —
 - (i) confirm such person in his appointment; or
 - (ii) if no cadre post is vacant for him, declare that he has completed his probation satisfactorily; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his Service, if recruited by direct recruitment; or
 - (ii) if recruited otherwise—
 - (I) revert him to his former post; or
 - (II) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit;
 - or

(iii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

12. (1) The seniority of the members of Service shall be determined separately for the Civil, Electrical and Mechanical cadre.

(2) In the case of Assistant Executive Engineers, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the inter-se seniority amongst them.

(3) The inter-se seniority of the members of the Service appointed as Executive Engineers shall be determined by the length of continuous service on the cadre post of Executive Engineer:

Provided that in case of Executive Engineers directly appointed or promoted from Assistant Executive Engineers or promoted from Group B Service against cadre posts or appointed by transfer against cadre posts on the same date, their inter-se seniority shall be determined in the following order:—

(a) Executive Engineer promoted from Assistant Executive Engineer shall be senior to the Executive Engineer promoted from Group B Service or appointed by transfer; and

(b) Executive Engineer promoted from Group B Service shall be senior to the Executive Engineer appointed by transfer.

(4) In the case of the Executive Engineers appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments; and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

(5) Where a member of the Service, for a cause which the Government considers to be sufficient, is unable to join the Service or continues with the Government's approval on deputation outside the Service, it shall be open to the Government to allow him credit for such service as if it was a Service rendered under this Act for the purposes of the fixation of his seniority.

Explanation.— All employment on deputation after a member has joined the Service and has had his seniority fixed under this Act, shall count as if it was employment in the Service and shall not in any way affect the seniority already fixed, except to the extent that such seniority would in any case have been affected, had the member of the Service continued to work in the Department.

13. The members of the Service shall be entitled to such scales of pay including special pay, as may be notified in the Official Gazette by the Government.

Pay.

14. The terms and conditions in respect of leave, pension and other cognate matters not expressly provided for in this Act, shall be such, as may be prescribed.

Leave, pension and other matters.

15. (1) The officer appointed to the Service, unless he has already done so, shall pass such departmental examination and within such period, as may be specified by the Government :

Departmental examination.

Provided that the Government in addition to such departmental examination may, from time to time, specify any other test or examination to be passed before an officer can be considered eligible for promotion or appointment to any rank in the Service:

Provided further that the Government may, for any sufficient cause extend the period within which any member is required to pass the departmental examination.

(2) If an officer fails to pass the departmental examination within the specified or within the extended period, if any, he shall not earn his future grade increments till such time, as he passes it when the increments shall be released retrospectively:

Provided that he shall not be entitled to get any arrears of the released grade increments for the period during which he could not pass the examination.

(3) If an officer passes the departmental examination in first attempt before the specified period, he shall be given all increments which would have otherwise fallen due to him at the end of such period from the following day on which the departmental examination was completed. The above advantage conferred by this stipulation is not of cumulative nature and later increments shall become due on the dates on which they would have become otherwise due.

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by special or general order.

Vaccination.

17. In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, as may be framed by the Government, from time to time.

Discipline, penalty and appeal.

18. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established in the Form of Oath / Affirmation given in Appendix B.

Oath of allegiance.

19. (1) A member of the Service shall be liable to serve under the Government at any place whether within or outside the State of Haryana.

Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under:—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central Government or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) and (iii) except with his consent.

(3) Every person appointed to the Service shall, if so required, serve in any defence service or post connected with the defence of India for a period not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person—

- (a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of appointment to the Service; and
- (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of 40 years.

Publication of grounds of dismissal.

20. If a member of the Service is dismissed by the Government or other competent authority as a result of a departmental enquiry or an enquiry under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (Act 37 of 1850) or on conviction on a criminal charge by a Court, the Government may publish in the Official Gazette, the reasons for such dismissal, if it is of the opinion that such publication is desirable in the public interest.

General.

21. In all matters not expressly provided for in this Act, the members of the Service shall be governed by such general or special rules as may have been, or may hereafter be, framed by Government, from time to time.

Power to relax.

22. Where the Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Act causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of that provision to such an extent, and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

23. Nothing contained in this Act shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, persons with disabilities or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard.

Reservations.

24. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

25. The Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) respectively Act, 1995 (20 of 1995), in its application to the Buildings and Roads Branch now Public Works (Buildings and Roads) Department, is hereby repealed:

Repeal and savings.

Provided that such repeal shall not affect—

- (a) any penalty or punishment imposed as a result of disciplinary proceedings under the Act so repealed;
- (b) any disciplinary action or proceedings initiated or pending under the Act so repealed;
- (c) any relaxation in qualifications granted to any member of the Service under the Act so repealed;
- (d) the benefits availed of by the persons who have retired from service during the period commencing from the 1st day of November, 1966 and ending with the date of publication of this Act in the Official Gazette;
- (e) the qualifications of persons already recruited and of those for whom the process of recruitment has been initiated under the Act so repealed ;
- (f) the officers already promoted.

and the Punjab Service of Engineers, Class I, P.W.D. (Buildings and Roads Branch) Rules, 1960 shall continue to be in force as if the same had not been repealed for the persons who were members of Service before the 1st day of November, 1966.

APPENDIX A

[See section 3(1)]

The cadre strength of the Service shall be determined each year for Civil, Electrical and Mechanical Cadre separately in the following manner:-

I. Senior posts (Executive Engineers and above) -

The number of senior posts shall be calculated as under:-

(a) first add—

(1) permanent posts [three years and over posts, i.e. posts which have existed continuously for three years or more prior to the First day of January];

(2) notional posts to be determined as follows:-

(i) enumerate posts which have existed during the last three years, preceding the First day of January, detailing the number of months for which they have existed; all periods of 15 days or above counted as a whole month;

(ii) add the total number of months computed at (i) above;

(iii) divide (ii) by 36 to the nearest whole number to obtain the number of notional posts to be included;

(3) deputation posts [these shall be equivalent to the number of officers on deputation, whether in the State or outside, on the First day of January];

(b) to the total of items (1), (2) and (3) (to be called 'X'), further add seven and a half per cent of 'X' as leave reserves (the total thus arrived to be called 'Y');

(c) the cadre strength shall, for the year in question be 'Y' minus fifteen per cent of 'Y' calculated to the nearest whole number. The balance of 'Y' minus cadre posts as calculated above shall represent ex-cadre posts :

Provided that—

(i) the number of cadre posts for the year shall in no case be less than the number of officers confirmed against such posts;

(ii) where as a result of the application of clause (i) of the proviso, the number of senior cadre posts becomes larger than the number worked

out, the excess number shall be reduced as and when confirmed officers retire, or leave the Service otherwise;

(iii) the number of ex-cadre senior posts corresponding to the excess number, if any, arrived at under clause (i), shall be reduced;

Explanation.— The Government shall not appoint officers against ex-cadre posts except to the extent that divisional or higher posts exist at any given time;

(d) of the senior posts thus determined, the number of cadre posts of Superintending Engineers and above shall be determined from time to time by the Government in consultation with the Finance Department. All other senior cadre posts shall be in the rank of Executive Engineer:

Provided that there may be ex-cadre posts of Executive Engineer or of higher ranks depending upon the actual requirements of the Department.

II. Junior Scale posts (Assistant Executive Engineers) :— The number of junior posts for the year shall be -

(a) cadre posts [the posts determined by dividing the figure 'Y' as calculated according to the provisions of Part I above by figure 2 and multiplying the resulting figure by the fraction 7/23]:

Provided that the number of cadre posts for the year shall not be less than the number of cadre posts of the year preceding it;

(b) ex-cadre posts [the number of posts shall be increased by such number as may be necessary to ensure at least one direct appointment to the post of Assistant Executive Engineer each year].

APPENDIX B*(See section 18)***FORM OF OATH/ AFFIRMATION**

I _____, do swear / solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will carry out the duties of my office with loyalty, honestly and impartiality.

'So help me God'

(Conscientious objectors of oath taking may make a solemn affirmation in the form indicated above)

Name and designation of the officer
undertaking the oath / affirmation.

Countersigned

Name and designation of the officer in whose
presence the oath / affirmation undertaken.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present service conditions and fixation of seniority in the Engineering services in PWD B&R, Public Health and PWD Irrigation Branch are being regulated through Haryana Act No. 20 of 1995.

Several petitions were filed in the Hon'ble High Court relating to inter-se seniority of Civil, Mechanical and Electrical cadres. It is proposed that category wise seniority of Civil, Mechanical and Electrical cadre is made.

Public Works Department (Buildings and Roads) is a predominantly a Civil engineering organization and therefore common seniority of Civil, Mechanical and Electrical cadres is not desirable. More over the number of posts of Group A and B in Mechanical and Electrical cadres of the department is very small compared to the number of post in Civil cadres. Therefore, it is desirable that separate seniority of Civil, Mechanical and Electrical cadres is maintained repealing the Haryana Services of Engineers Class-I PWD (Irrigation Branch), (B&R Branch) and (Public Health) respectively, Act 1995 (Haryana Act No. 20 of 1995) in so far as its applicability to the PWD (B&R) department is concerned and by enacting a new Legislation of The Haryana Service of Engineers Group-A, Public Works (Buildings & Roads) Department Act, 2010 in its place.

The proposed Bill now seeks to replace the Act No. 20 of 1995 in so far as its applicability to the PWD (B&R) Department.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Public Works Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of clauses (1) and (3) of article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly, the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 5th September, 2010.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

6850 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 5, 2010
(BHDR. 14, 1932 SAKA)

FINANCIAL MEMORANDUM

There shall be no additional financial implication on account of the enactment of the proposed legislation at present.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 24 of the proposed Bill empowers the State Government to frame rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 29—एच० एल० ए०

हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें)
विभाग विधेयक, 2010

हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण
(भवन तथा सड़कें) विभाग में नियुक्त
व्यक्तियों की भर्ती तथा
सेवा शर्तों विनियमित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इक्सटर्वें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ
तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।
(2) यह नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन को लागू हुआ समझा जाएगा।
(3) यह उन व्यक्तियों को लागू होगा जो सेवा के सदस्य हैं किंतु वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से पहले नियुक्त किये गए थे।

प्रियाषाए ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “सेवा में नियुक्ति” से अभिप्राय है, सेवा में संवर्ग पद पर की गई नियुक्ति तथा इसमें शामिल है इस अधिनियम के निबन्धनों तथा उपबन्धों के अनुसार सेवा में किसी संवर्ग पद की किसी स्थानापन्न रिक्ति पर की गई कोई नियुक्ति;
- (ख) “सहायक कार्यकारी अभियंता” से अभिप्राय है, कनिष्ठ वेतनमान में सेवा का कोई सदस्य;
- (ग) “परिशिष्ट” से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न परिशिष्ट;
- (घ) “संवर्ग पद” से अभिप्राय है, सेवा में कोई स्थायी पद;
- (ङ) “मुख्य अभियंता” से अभिप्राय है, विभाग का मुख्य अभियंता तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष पद;
- (च) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग या सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकरण;

(छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्राय है, ऐसा अधिकारी अथवा प्राधिकारी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करे;

(ज) "विभाग" से अभिप्राय है, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग;

(झ) "सीधी नियुक्ति" से अभिप्राय है, खुली प्रतियोगिता द्वारा कोई नियुक्ति किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है—

- पदोन्नति द्वारा कोई नियुक्ति;
- किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की स्थानान्तरण द्वारा कोई नियुक्ति;

व्याख्या—कोई ग्रुप "ख" अधिकारी जो खुली प्रतियोगिता चयन द्वारा सेवा में भर्ती किया जाता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सीधी नियुक्ति द्वारा सेवा में भर्ती किया गया समझा जाएगा;

(अ) "प्रमुख अभियंता" से अभिप्राय है, विभाग का प्रमुख अभियंता और इसमें शामिल है सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष पद;

(ट) "संवर्ग बाह्य पद" से अभिप्राय है, अस्थाई पद जो सेवा में शामिल नहीं है, जिस पर नियुक्ति के लिए ज्येष्ठता कोई अधिकार प्रदान नहीं करती;

(ठ) "कार्यकारी अभियंता" से अभिप्राय है, किसी मंडल का कोई कार्यभारी अधिकारी;

(ड) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ढ) "ग्रुप ख सेवा" से अभिप्राय है, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग में हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप ख;

(ण) 'सेवा का सदस्य' से अभिप्राय है, किसी संवर्ग पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया अधिकारी तथा इसमें शामिल है—

- सीधी नियुक्ति की दशा में, परिवीक्षा पर कोई अधिकारी अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर, किसी संवर्ग पद पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो;
- स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, परिवीक्षा पर कोई अधिकारी अथवा ऐसा कोई अधिकारी, जो अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर, किसी संवर्ग पद पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, बशर्ते कि ऐसा अधिकारी किसी सरकारी विभाग में किसी अधिष्ठायी पद पर धारणाधिकार न रखता हो;

व्याख्या.—यह आवश्यक नहीं है कि सेवा का कोई सदस्य दिए गए किसी समय पर किसी संवर्ग पद पर सामान्यतया कार्य कर रहा होगा । वह प्रशासकीय सुविधा के कारण किसी संवर्ग बाह्य पद पर कार्यरत्त हो सकता है अथवा जब किसी संवर्ग बाह्य पद पर स्थानापन्न है उसे किसी संवर्ग पद के कर्तव्यों का पालन करता हुआ समझा जाएगा ।

- (त) “विहित” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ।
- (थ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा अभियंता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग जिसमें सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल के अलग—अलग तीन संवर्ग समाविष्ट हैं;
- (द) “अधीक्षण अभियंता” से अभिप्राय है, किसी परिमंडल का कोई कार्यभारी अधिकारी तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष पद;
- (ध) “विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय;
 - (ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधियों अथवा उपाधि—पत्रों (डिप्लोमा) की दशा में पंजाब, सिन्ध अथवा ढाका विश्वविद्यालय; तथा
 - (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अथवा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

संवर्ग तथा इसकी सख्त्य ।

3. (1) यहां सेवा के तीन संवर्ग अर्थात् सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल के विभिन्न पद, जो प्रति वर्ष जनवरी के प्रथम दिन को या तत्पश्चात् यथाशीघ्र जो परिशिष्ट के उपबंधों के अनुसार व्यवहार्य हों, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से निर्धारित किये जाएं, समाविष्ट होंगे । इस प्रकार निर्धारित की गई अपने—अपने संवर्ग की संख्या लागू रहेगी जब तक इसे सरकार द्वारा पुनरीक्षित न किया जाए ।

(2) सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती अथवा नियुक्ति केवल उनके संवर्ग में अपने—अपने पदों पर की जाएगी ।

व्याख्या.—एक बार कोई अधिकारी सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो एक पद से दूसरे पद पर सेवा में उसकी पदोन्नति उसी संवर्ग में से पदोन्नति के रूप में समझी जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार सेवा के किसी

सदस्य को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सेवा में समिलित न किये गये किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा पद स्वीकृत किया गया है।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह उम्मीदवारों की निम्नलिखित न हो, —

राष्ट्रीयता तथा
अधिवास।

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) सिक्खिम की प्रजा; या
- (ग) नेपाल की प्रजा; या
- (घ) भूटान की प्रजा; या
- (ङ) तिब्बत का शरणार्थी, जो जनवरी 1962 के प्रथम दिन से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (च) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ग), (घ), (ङ) अथवा (च) से संबंधित कोई उम्मीदवार, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो तथा यदि वह प्रवर्ग (च) से संबंधित है, पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा, जिसके बाद ऐसे किसी उम्मीदवार को उसकी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अध्यधीन सेवा में रखा जाएगा।

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी दशा में पात्रता का कोई प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, उसके प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि उसने प्रमाण—पत्र के लिए आवेदन किया है, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण—पत्र दिए जाने के अध्यधीन अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

5. (1) अपने—अपने संवर्ग में सेवा में भर्ती सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसी सेवा में भर्ती। एक अथवा अधिक ढांगों द्वारा की जाएगी:—

- (क) सीधी नियुक्ति द्वारा ; या
- (ख) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा ; या
- (ग) अपने—अपने संवर्ग की ग्रुप ख सेवा में से पदोन्नति द्वारा ।

(2) संवर्ग पद पर भर्ती इस प्रकार विनियमित की जाएगी कि ग्रुप ख सेवा से पदोन्नति द्वारा भरे गए अपने—अपने संवर्ग में पदों की संख्या सहायक कार्यकारी अभियन्ताओं के पदों को छोड़कर अपने—अपने संवर्ग में संवर्ग संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि सहायक कार्यकारी अभियंता जो पदोन्नति के लिए पात्र तथा योग्य हैं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो अपने—अपने संवर्ग में संवर्ग पद ग्रुप ख सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा जैसा सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, पचास प्रतिशत से अधिक भी भरे जा सकते हैं ।

(3) व्यक्ति जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन को सेवा के सदस्य थे की दशा में, यह माना जाएगा कि सदस्य उपधारा (2) के उपर्योग के अनुसार ग्रुप ख सेवा से पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए हैं तथा भविष्य में भर्ती इस धारणा पर आधारित होगी ।

(4) सेवा में सभी प्रथम सीधी नियुक्तियां सहायक कार्यकारी अभियंताओं के पदों पर की जाएंगी ।

(5) ग्रुप ख सेवा से पदोन्नत अधिकारी कार्यकारी अभियंता के पद पर नियुक्त किया जाएगा ।

(6) किसी अधिकारी की स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति सामान्यतया कार्यकारी अभियंता के पद पर की जाएगी ।

(7) उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के बाद, किया जाएगा जिसके लिए पाठ्यक्रम ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा, समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

परन्तु यदि उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से बीस गुणा अधिक है, तो आयोग प्रतियोगी परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की चयनित सूची के लिए छानबीन परीक्षा ले सकता है :

परन्तु यह और कि उम्मीदवार तब तक नियुक्ति के लिए अहिंत नहीं समझा जाएगा जब तक वह प्रत्येक विषय में कम से कम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर लेता तथा पूर्णयोग में भी कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर लेता तथा कोई भी उम्मीदवार जो अहंक अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवार के लिए पूर्णयोग अंकों की अपेक्षा पैंतालीस प्रतिशत होगी ।

व्याख्या.—जब सरकार द्वारा इस प्रकार नियोग सेवा में तथा राज्य की किसी अन्य अभियंता सेवा या सेवाओं के चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर सकता है तथा ऐसा होने पर, नियुक्तियां ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किए गए हैं को ध्यान में रखने के बाद आयोग द्वारा सूचित योग्यता के क्रम में की जाएंगी ।

6. कोई भी व्यक्ति राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि को या उसके बाद सेवा में तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक वह—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, किसी विश्वविद्यालय से या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी तकनीकी संस्था से संबंधित अभियन्ता विषय में कोई उपाधि या अन्य अहंताएं नहीं रखता है या सहयुक्त सदस्यता अभियांत्रिकी इंजीनियर संस्था (भारत) के अनुभाग के तथा ख पास नहीं कर लेता है। उम्मीदवार के पास अपेक्षित अहंताएं आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन को या उससे पूर्व होगी :

परन्तु किसी विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्था से पत्राचार या दूरस्थ-शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्राप्त की गई कोई भी उपाधि सेवा में भर्ती के किसी ढंग द्वारा नियुक्ति के लिये नहीं समझी जाएगी। प्रदान की गई उपाधियां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित होनी चाहिए :

परन्तु यह और कि सिविल संवर्ग के लिए नियुक्ति किए जाने वाले उन उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा जो सिविल इंजीनियरिंग में अहंता रखते हैं, चूंकि इलैक्ट्रीकल संवर्ग में उनको भर्ती किया जाएगा जो इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में अहंता रखते हों तथा चूंकि जो मैकेनिकल संवर्ग में भर्ती किए जाते हैं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अहंता रखने की अपेक्षा की जाएगी;

(ख) ग्रुप ख सेवा से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में खंड (क) में उपबंधित अहंताओं के अतिरिक्त, आठ वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता है तथा ग्रुप ख सेवा की विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेता है :

परन्तु सरकार किसी अधिकारी, जिसने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, की दशा में आठ वर्ष की सेवा की शर्त में ढील दे सकती है; तथा ऐसे मामले में अधिकारी कार्यकारी अभियंता के रूप में प्रथम वेतनवृद्धि नौ वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्जित करेगा।

व्याख्या.—आठ वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, ग्रुप ख की सेवा के साथ-साथ ग्रुप क की सेवा भी गिनी जाएगी।

(ग) संतोषप्रद चरित्र तथा पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति नहीं है, जिसके संबंध में समुचित सरकारी अभिकरण के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था की जाएगी, सिवाय ऐसे मामलों में जहां ऐसा सत्यापन सरकारी सेवा में उसके प्रवेश के समय से पहले ही कर लिया गया है;

(घ) एक से अधिक जीवित पत्नी रखता है या, किसी महिला की दशा में, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है; परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है, कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस शर्त के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

(ङ) पंजाब सिविल सेवा नियम, हरियाणा राज्यार्थ, के अनुसार परीक्षण करने के बाद स्थायी चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता का प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तथा सक्रिय बाहरी कर्तव्यों के लिए सभी प्रकार से स्थायी चिकित्सा बोर्ड द्वारा योग्य नहीं माना गया है।

आयु ।

7. सीधी नियुक्ति के लिये न्यूनतम तथा अधिकमत आयु ऐसी होगी जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए । न्यूनतम तथा अधिकतम आयु अवधारित करने के लिए कट आफ डेट कलेंडर वर्ष जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की गई हैं के जनवरी के प्रथम दिन से होगी ।

पदोन्नति द्वारा
नियुक्ति ।

8. (1) सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल संवर्ग के लिए अलग से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिए ऐसे सदस्यों, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं को मिला कर समिति गठित की जाएगी । ऐसी सूची में शामिल करने के लिए चयन ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जाएगा ।

(2) समिति सामान्यतया एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों पर बैठक करेगी तथा उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सभी पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार करेगी ।

(3) इस सूची में समिलित अधिकारियों के नाम सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल संवर्ग के लिए अलग से गुप ख सेवा में ज्येष्ठता के अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे ।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित की जाएगी ।

(5) यदि, सूची तैयार करने या इसके पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, किसी पात्र उम्मीदवार को अधिक्रमित करना प्रस्तावित किया गया है, तो समिति ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करेगी तथा प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी ।

(6) उपधारा (1), (3), (4) तथा (5) के उपबधों के अनुसार तैयार की गई या पुनरीक्षित की गई सूची सरकार द्वारा निम्नलिखित सहित आयोग को अग्रेषित की जाएगी--

(i) सूची में समिलित सभी अधिकारियों के अभिलेख ;

(ii) समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिक्रमित किए जाने वाले प्रस्तावित सभी अधिकारियों के अभिलेख ;

(iii) किसी अधिकारी के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए समिति द्वारा अभिलिखित कारण, यदि कोई हों ; और

(iv) समिति की सिफारिशों पर सरकार की टीका-टिप्पणी, यदि कोई हों ।

(7) आयोग सरकार से प्राप्त अन्य दस्तावेजों सहित समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा ।

(8) यदि आयोग सरकार से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है, तो यह प्रस्तावित परिवर्तन सरकार को सूचित करेगा तथा सरकार की टिप्पणियां, यदि कोई हों, को ध्यान में रखने के पश्चात, ऐसे उपांतरण, यदि कोई हों, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित है, सहित सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकता है ।

(9) सेवा में नियुक्तियां सरकार द्वारा सूची में से ऐसे क्रम में की जाएंगी, जिसमें आयोग द्वारा नाम वर्णित किए गए हैं।

(10) सेवा में अथवा संवर्ग में किसी पद पर स्थानापन्न हैंसियत में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची में से की जा सकती है।

(11) उपधारा (9) या (10) के अधीन नियुक्ति करने से पूर्व सामान्यतः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक सूची में अधिकारी का नाम समाविष्ट करने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तिथि के बीच पड़ने वाली अवधि के दौरान अधिकारी के कार्य में कोई छास नहीं आ जाता जो सरकार की राय में ऐसा है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

9. (1) उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अध्याधीन अपने—अपने संवर्ग के सेवा के सेवा में पदोन्नति सदस्य अपने—अपने संवर्ग के भीतर किसी भी पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे :

परन्तु युप ख सेवा का कोई सदस्य जो किसी विश्वविद्यालय की कोई भी उपाधि या धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य अहंताएं नहीं रखता है, तो कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह अपेक्षित अहंताएं प्राप्त नहीं कर लेता :

परन्तु यह और कि प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति केवल सिविल संवर्ग के सदस्यों में से की जाएगी :

परन्तु यह और कि इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल संवर्गों के लिए मुख्य अभियंता का एक समिलित पद होगा तथा वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर धारा 8 के अधीन गठित कमेटी द्वारा भरा जाएगा तथा प्रयोजन के लिए अधीक्षण अभियंता इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल संवर्गों की परस्पर ज्येष्ठता अधीक्षण अभियंता के पद पर सेवाकाल के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(2) पदोन्नति सभी प्रकार से ज्येष्ठता—सह—योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी तथा सेवा के किसी सदस्य का ऐसी पदोन्नति पर अधिकार स्वरूप अथवा केवल ज्येष्ठता के रूप में कोई दावा नहीं होगा।

(3) सेवा का कोई सदस्य निम्नलिखित पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा—

(क) कार्यकारी अभियन्ता, जब तक उसने सहायक कार्यकारी अभियन्ता के रूप में पांच वर्ष की सेवा न कर ली हो तथा धारा 15 में यथा उपर्युक्त विभागीय परीक्षा न पास कर ली हो :

परन्तु कोई अधिकारी जिसने सहायक कार्यकारी अभियन्ता के रूप में छह वर्ष अथवा अधिक सेवा कर ली है जब तक वह पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त नहीं समझा जाता, उसे ऐसी पदोन्नति के लिए युप ख पात्र अधिकारी से अधिक अधिमान दिया जाएगा ;

- (ख) अधीक्षण अभियन्ता, जब तक उसने कार्यकारी अभियन्ता के रूप में सात वर्ष की सेवा न कर ली हो ;
- (ग) मुख्य अभियन्ता, जब तक उसने अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष की सेवा न कर ली हो ;
- (घ) प्रमुख अभियन्ता, जब तक उसने मुख्य अभियन्ता के रूप में दो वर्ष की सेवा न कर ली हो :

परन्तु यदि, लोकहित में, किसी अधिकारी जिसने सफलतापूर्वक अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली हो, को पदोन्नत करना आवश्यक प्रतीत हो, तो सरकार, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, या तो सामान्य रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या किसी व्यक्तिगत मामले में खड़ (क), (ख), (ग) अथवा (घ) में विनिर्दिष्ट अवधि ऐसी सीमा तक कम कर सकती है, जो वह उचित समझे ।

स्थानान्तरण द्वारा
नियुक्ति ।

10. सरकार, विशेष परिस्थितियों में, आयोग के अनुमोदन से, सेवा के किसी अधिकारी को स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त कर सकती है ।

परिवीक्षा ।

11. (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी यदि वह सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए तथा यदि अन्यथा भर्ती किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

- (क) सेवा में नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप अथवा उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि इस धारा के अधीन नियत की गई परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पहले, कार्यकारी अभियन्ता अथवा ऊपर के पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, सरकार के विवेक पर, इस धारा के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिने जाने के लिए अनुज्ञात की जा सकती है, तथा
- (ग) सेवा में कोई स्थानापन्न नियुक्ति परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किंतु सेवा का कोई सदस्य जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर, जब तक वह संवर्ग पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि सरकार की राय में, सेवा में नियुक्ति किसी अधिकारी का कार्य या आचरण, परिवीक्षा अवधि के दौरान संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

- (क) उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकती है, यदि सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया हो ; तथा

(ख) यदि अन्यथा भर्ती किया गया हो तो—

- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है; अथवा
- (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकती है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, सरकार,—
- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य अथवा आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,—
 - (i) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पुष्ट कर सकती है; अथवा
 - (ii) यदि उसके लिये कोई भी संवर्ग पद रिक्त नहीं है, तो घोषित कर सकती है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है; अथवा
- (ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो,—
 - (i) उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकती है, यदि सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया हो; अथवा
 - (ii) यदि अन्यथा भर्ती किया गया हो तो—
 - (I) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है; अथवा
 - (II) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकती है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; अथवा
 - (iii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकती है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकती थी :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, विस्तार सहित, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. (1) सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल संवर्गों ज्येष्ठता के लिए अलग—अलग निर्धारित की जायेगी।

(2) सहायक कार्यकारी अभियन्ताओं की दशा में, उनके बीच परस्पर ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम बदला नहीं जाएगा।

(3) कार्यकारी अभियन्ताओं के रूप में नियुक्त सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता कार्यकारी अभियन्ता के संवर्ग पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निर्धारित की जायेगी :

परन्तु एक ही तिथि को सीधे नियुक्त या सहायक कार्यकारी अभियंता से पदोन्नत या संवर्ग पदों पर ग्रुप ख सेवा से पदोन्नत या संवर्ग पदों पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्त कार्यकारी अभियंताओं की दशा में, उनकी परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में निर्धारित की जाएगी—

(क) सहायक कार्यकारी अभियंता से पदोन्नत कार्यकारी अभियंता ग्रुप ख सेवा से पदोन्नत या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त कार्यकारी अभियंता से ज्येष्ठ होगा ; तथा

(ख) ग्रुप ख सेवा से पदोन्नत कार्यकारी अभियंता स्थानांतरण द्वारा नियुक्त कार्यकारी अभियंता से ज्येष्ठ होगा ।

(4) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त कार्यकारी अभियंताओं की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि ले रहे वेतन की दर भी समान हो, तो नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि ऐसा सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

(5) जहां सेवा का कोई सदस्य, ऐसे कारण के लिये, जिसे सरकार पर्याप्त समझाती है, कार्य ग्रहण करने में असमर्थ है अथवा सरकार के अनुमोदन से सेवा में बाहरी प्रतिनियुक्ति पर रहता है, ऐसी सेवा के लिए उसको लाभ अनुज्ञात करना सरकार के विवेक पर होगा मानो यह उसकी ज्येष्ठता नियत करने के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन की गई सेवा थी ।

व्याख्या— किसी सदस्य का सेवा ग्रहण करने तथा इस अधिनियम के अधीन नियत की गई अपनी ज्येष्ठता को प्राप्त करने के बाद प्रतिनियुक्ति पर सभी नियोजन में गिने जायेंगे मानो कि यह सेवा में नियोजन था और पहले से ही नियत की गई ज्येष्ठता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, सिवाय उस सीमा तक ऐसी ज्येष्ठता किसी दशा में प्रभावित होती है, यदि सेवा का सदस्य विभाग में कार्य करता रहता ।

वेतन :

13. सेवा के सदस्य विशेष वेतन सहित ऐसे वेतनमान के हकदार होंगे, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं ।

छुटटी, पेशन तथा अन्य मामले ।

14. छुटटी, पेशन तथा उसी प्रकार के अन्य मामलों के संबंध में, निबध्नन तथा शर्तें जिनका इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी, जो विहित की जायें ।

विभागीय परीक्षा ।

15. (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी, यदि उसने पहले से ही ऐसा न किया हो, ऐसी विभागीय परीक्षा तथा ऐसी अवधि के भीतर पास करेगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएः

परन्तु सरकार, इससे पहले कि कोई अधिकारी सेवा में किसी पद पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति के लिये पात्र समझा जाये ऐसी विभागीय परीक्षा के अतिरिक्त

समय-समय पर पास किये जाने के लिए कोई अन्य टेस्ट अथवा परीक्षा विनिर्दिष्ट कर सकती है :

परन्तु यह और कि सरकार, किसी पर्याप्त कारण से अवधि जिसके भीतर किसी सदस्य के लिए विभागीय परीक्षा पास करना अपेक्षित हो, बढ़ा सकती है ।

(2) यदि कोई अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, के भीतर विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे समय तक, अपनी भविष्य ग्रेड वेतन-वृद्धियां अर्जित नहीं करेगा, ज्योंहि वह इसे पास कर लेता है तब वेतन-वृद्धियां भूतलक्षी प्रभाव से दी जाएंगी :

परन्तु यह ऐसी अवधि के लिये जिसके दौरान यह विभागीय परीक्षा पास नहीं कर सका, दी गई ग्रेड वेतन-वृद्धियों के किसी बकाया को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) यदि कोई अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्रथम प्रयास में विभागीय परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे वे सब वेतन-वृद्धियां दी जायेंगी जो ऐसे आगामी दिन, जिसको विभागीय परीक्षा पूरी हुई थी, से ऐसी अवधि के अंत तक उसको अन्यथा देय होती । इस अनुबंध द्वारा प्रदान किया गया उपर्युक्त लाभ संचयी स्वरूप का नहीं है तथा बाद की वेतन-वृद्धियां, ऐसी तिथियों को देय होंगी जिनको वे अन्यथा देय होती ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगावाएगा तथा जब कभी सरकार किसी टीका लगावाना विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पुनः टीका लगावाएगा ।

17. अनुशासन, शास्त्रियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य सिविल अनुशासन, शास्त्रिय सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमों द्वारा शासित होंगे, जो सरकार द्वारा समय-समय पर, बनाये तथा अपील जाएं ।

18. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा राजनीष्ठा की विधि द्वारा यथा स्थापित परिशिष्ट ख में दी गई शपथ/प्रतिज्ञान के प्ररूप में भारत के शपथ संविधान के प्रति राजनीष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

19. (1) सेवा का सदस्य, हरियाणा राज्य के भीतर या उसके बाहर किसी भी स्थान पर सरकार के अधीन सेवा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:-

- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो पूर्णतः या सारतः सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित है, हरियाणा राज्य के भीतर कोई नगर निगम अथवा स्थानीय प्राधिकरण ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो पूर्णतः या सारतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित है ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तरराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(3) सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, यदि ऐसा अपेक्षित हो, प्रशिक्षण, यदि कोई हो, पर व्यतीत की गई अवधि सहित, कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिये भारत की किसी रक्षा सेवा अथवा रक्षा से संबंधित किसी पद पर सेवा करेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति—

(क) सेवा में नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद यथा पूर्वोक्त सेवा करने के लिये अपेक्षित नहीं होगा ; और

(ख) 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद यथा पूर्वोक्त सेवा करने के लिये सामान्यतः अपेक्षित नहीं होगा ।

पदच्युति के आधारों
का प्रकाशन ।

20. यदि सेवा का कोई सदस्य किसी विभागीय जांच अथवा लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का अधिनियम 37) के अधीन किसी जांच अथवा किसी न्यायालय द्वारा आपाराधिक आरोप पर दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदच्युति किया गया है, तो सरकार ऐसी पदच्युति के लिये कारणों को राजपत्र में प्रकाशित कर सकती है, यदि उसकी राय है कि ऐसा प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है ।

साधारण ।

21. उन सभी मामलों में, जिनके लिये इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे साधारण अथवा विशेष नियमों द्वारा शासित होंगे, जो समय—समय पर सरकार द्वारा, बनाए गए हों अथवा इसके बाद बनाए गए हों ।

दील देने की शक्ति ।

22. जहां सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किन्हीं का प्रवर्तन किसी विशेष मामले में अनुचित बाधा उत्पन्न करता है, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन उस उपबंध की अपेक्षाओं को हटा सकती है या ढील दे सकती है, जहां तक वह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में मामले के निपटान के लिये आवश्यक समझे ।

आरक्षण ।

23. इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात, सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अशक्त व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

नियम बनाने की
शक्ति ।

24. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा ।

25. हरियाणा अभियन्ता सेवा, श्रेणी I, लोक निर्माण विभाग क्रमशः (भवन तथा सड़कें शाखा), (जन स्वास्थ्य शाखा) तथा (सिंचाई शाखा) अधिनियम, 1995 (1995 का 20), जो भवन तथा सड़कें शाखा, अब लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), को लागू है, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

गिरसन तथा
व्यावृति।

परन्तु ऐसा निरसन—

- (क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप अधिरोपित किसी शास्ति अथवा दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा;
- (ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रारंभ की गई अथवा लम्बित रखी गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई अथवा कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा;
- (ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन सेवा के किसी सदस्य की अर्हताओं में दी गई किसी ढील को प्रभावित नहीं करेगा;
- (घ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को प्रभावित नहीं करेगा जो नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली तथा राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकार इन की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हों;
- (ङ) पहले से भर्ती किए गए व्यक्तियों तथा उनको जिनकी भर्ती की प्रक्रिया इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रारंभ हो गई है, की अर्हताओं को प्रभावित नहीं करेगा;
- (च) पहले से पदोन्नत अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगा, और पंजाब अभियन्ता सेवा, श्रेणी I, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) नियम, 1960, उन व्यक्तियों के लिए जो नवम्बर, 1966, के प्रथम दिन से पूर्व सेवा के सदस्य थे, लागू रहेंगे मानो वे निरसित नहीं किए गए थे।

परिशिष्ट क

/ देखिये धारा 3(1) /

सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल संवर्ग के लिए सेवा की संवर्ग संख्या प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित रीति में अलग से निर्धारित की जाएगी :—

I. परिशिष्ट पद (कार्यकारी अभियंता और ऊपर) —

परिशिष्ट पदों की संख्या निम्न प्रकार से संगणित की जाएगी :—

(क) पहले—

- (1) स्थाई पद [तीन वर्ष तथा ऊपरी पद, अर्थात् वे पद जो जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व लगातार तीन वर्ष या अधिक के लिए विद्यमान रहे हैं] जोड़ें ;
- (2) अप्रयोगमूलक पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :—

- (i) ऐसे प्रगणित पद जो जनवरी के प्रथम दिन से पूर्ववर्ती, पिछले तीन वर्ष के दौरान विद्यमान रहे हैं, मास जिनके लिए वे विद्यमान थे मासों की संख्या का विवरण, 15 दिन अथवा अधिक सभी अवधियों की पूर्ण मास के रूप में गणना करें ;
- (ii) उपरोक्त (i) में परिकलित मासों की कुल संख्या जोड़ें ;
- (iii) समिलित किए जाने वाले अप्रयोगमूलक पदों की संख्या प्राप्त करने के लिए निकटतम पूरी संख्या को 36 द्वारा (ii) को विभाजित करें ;
- (3) प्रतिनियुक्ति पद [ये जनवरी के प्रथम दिन को प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या के बराबर होंगे, चाहे राज्य में हों अथवा बाहर] ;
- (ख) मद (1), (2) तथा (3) के जोड़ को ("एक्स" कहा जाए), आगे "एक्स" का साढ़े सात प्रतिशत छुट्टी आरक्षित पद के रूप में जोड़ (इस प्रकार से प्राप्त हुए जोड़ को "वाई" कहा जाए) ;
- (ग) संवर्ग संख्या, प्रश्नगत वर्ष के लिए, "वाई" में से निकटतम पूरी संख्या के संगणित "वाई" का पन्द्रह प्रतिशत घटाकर होगी। उपरोक्त यथा संगणित संवर्ग पदों को घटाकर "वाई" का अतिशेष संवर्ग बाह्य पदों का प्रतिनिधित्व करेगा :

परन्तु —

- (i) वर्ष के लिए संवर्ग पदों की संख्या किसी भी दशा में ऐसे पदों के विरुद्ध पुष्ट किए गए अधिकारियों की संख्या से कम नहीं होगी ;

(ii) जहां परन्तुक के खण्ड (i) के लागू होने के परिणामस्वरूप, वरिष्ठ संवर्ग पदों की संख्या निकाली गई संख्या से अधिक हो जाती है, तो अधिक संख्या जब भी पुष्ट अधिकारी सेवानिवृत्त होता है, या अन्यथा सेवा छोड़ देता है, घटा दी जाएगी ;

(iii) खण्ड (i) के अधीन प्राप्त अधिक संख्या, यदि कोई हो, अनुरूप संवर्ग बाह्य वरिष्ठ पदों की संख्या से घटा दी जाएगी ;

व्याख्या—सरकार उस सीमा के सिवाय कि मण्डलीय अथवा उच्चतर पद, किसी दिए हुए समय में विद्यमान हैं, संवर्ग बाह्य पदों के विरुद्ध अधिकारियों को नियुक्त नहीं करेगी ;

(घ) इस प्रकार निर्धारित वरिष्ठ पदों को, अधीक्षण अभियन्ता तथा ऊपर के संवर्ग पदों की संख्या को, वित्त विभाग के परामर्श से, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। रसी अन्य वरिष्ठ संवर्ग पद कार्यकारी अभियन्ता की पदवी के होंगे :

परन्तु विभाग की वास्तविक अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए, कार्यकारी अभियन्ता या उच्चतर पदवी के संवर्ग बाह्य पद हो सकते हैं।

II. कनिष्ठ वेतनमान पद (सहायक कार्यकारी अभियन्ता)—वर्ष के लिए कनिष्ठ पदों की संख्या निम्नलिखित होगी—

(क) संवर्ग पद (ऊपर भाग के उपबंधों के अनुसार यथा संगणित “वाई” अंक को, अंक 2 द्वारा विभाजित करते हुए तथा परिणामी अंक को $7/23$ भाग द्वारा गुणा करते हुए निर्धारित पद) :

परन्तु वर्ग के लिए संवर्ग पदों की संख्या इससे पूवर्वती वर्ष के संवर्ग पदों की संख्या से कम नहीं होंगी ;

(ख) संवर्ग बाह्य पद (पदों की संख्या ऐसी संख्या द्वारा बढ़ाई जाएगी जो प्रत्येक वर्ष सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पद पर कम से कम सीधी नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो)।

परिशिष्ट ख

(देखिये धारा 18)

शपथ/प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं _____ शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान निष्ठा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथार्थापित भारत तथा भारत के संविधान के प्रति वफादारी तथा सच्ची निष्ठा रखूँगा, कि मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा तथा कि मैं राजनिष्ठा, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के साथ मेरे पद के कर्तव्यों का पालन करूँगा।

'इस प्रकार भगवान मेरी सहायता करे'

[शपथ ग्रहण के कर्तव्यनिष्ठा आपत्ति-कर्ता उपरोक्त निर्दिष्ट प्ररूप में सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान कर सकते हैं]।

शपथ/प्रतिज्ञान लेने वाले
अधिकारी का नाम तथा पदनाम

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिकारी का नाम तथा पदनाम
जिसकी उपस्थिति में शपथ/
प्रतिज्ञान लिया गया है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस समय लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) जन स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण, सिवाई विभाग शाखा के सेवा नियम 1995 के अधिनियम 20 द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

बहुत सी पैटीशन माननीय उच्च न्यायालय में, सिविल, मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिक कैडर से सम्बन्धित ईन्टर सी सिनियरटी के सम्बन्ध में फाईल की गई हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिक कैडर की वरिष्ठता अलग-अलग बनाई जाए।

लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) सिविल इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण संस्था है और सिविल, मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल कैडर की कोमन सिनियरटी उचित नहीं है। मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल कैडर सिविल की पद संख्या से कम है। इस प्रकार लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), सिवाई विभाग, व जन स्वास्थ्य विभाग में सिविल, मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल की अलग-अलग सिनियरटी 1995 के नियम 20 से बनाई जानी उचित है। जहां तक इसे लोक निर्माण विभाग में लागू करने का सम्बन्ध है तो हरियाणा अभियन्ता सेवा युप -क- लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) विधेयक, 1995 के स्थान पर नया विधेयक लागू करना है।

अब इस प्रकार लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) में अधिनियम 2010 इस स्थान पर बनाई जानी है।

अतः अब 1995 के नियम 20 के अन्तर्गत इस बिल को लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) में लागू करने हेतु बदला जाना है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
लोक निर्माण मंत्री, हरियाणा ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

वण्डीगढ़ :
5 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव :

वित्तीय ज्ञापन

इस समय अधिनियम को विधान सभा में प्रस्तावित करने के संबंध में किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विल के सैक्षण 24 के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिनियम बनाने की शक्तियाँ प्रस्तावित की जाती हैं। यह शक्तियाँ सामान्यतः कार्यकारी प्रतिनिधि के तौर पर हैं। यह ज्ञापन विधायी प्रतिनिधि प्रत्यायोजित करने नियम 126 के अन्तर्गत कार्यकारी और आचरण व्यवसाय नियम, हरियाणा विधानसभा के अन्तर्गत आवश्यक हैं, जोकि संलग्न हैं।